

एम०एम०-17
(नियम 27-क)
प्रपत्र-1 (निविदा प्रारूप)
खनन क्षेत्र का नाम—

1	खनन क्षेत्र का विवरण—खसरा सं0— क्षेत्रफल है0		फोटो स्वयं सत्यापित
2	तहसील—		
3	जिला—पौड़ी गढ़वाल		
4	खनिज—रेता, बजरी, बोल्डर		
5	आधार मूल्य— अंकों में शब्दों में		
6	निविदाकार का नाम		
	(1) निजी व्यक्ति		
	पिता का नाम / पति का नाम		
	पूरा पता.....		
	स्थायी पता.....		
	टेलीफोन नं0		
	मोबाइल नं0		
	पैन कार्ड नं0		
	(2) कोपरेटिव सोसाइटी		
	पूरा पता.....		
	स्थायी पता.....		
	टेलीफोन नं0		
	मोबाइल नं0		
	पैन कार्ड नं0		
7	1.आवेदन पत्र शुल्क रु0 5000.00	1.ट्रेजरी चालान सं0.....दिनांक.....	
	2.व्यापार कर रु0 675.00	2.ट्रेजरी चालान सं0.....दिनांक.....	
8	अर्नेस्ट मनी का विवरण अंकों में शब्दों में.....	बैंक का नाम..... ड्राफ्ट सं0.....दि0.....	
9	आवेदनकर्ता के खनन पट्टो का विवरण(10.00 रु0 के स्टाम्प पेपर पर)	पृथक से सलंगन करें—कुल पट्टो की संख्या..... कुल क्षेत्रफल.....	
10	शपथ पत्रों का विवरण(सूची पृथक से सलंगन करें)	सलंगनकों की संख्या.....	
11	कोपरेटिव सोसाइटी का कॉपी ऑफ रेजूलेशन		

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही एवं सत्य है। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मांगा जायेगा उसको उपलब्ध कराऊंगा। मैंने निविदा की सम्पूर्ण शर्तें पढ़ी गयी है और मैं उनको स्वीकार करता हूँ।

एम०एम०-१७
 (नियम २७-क)
 प्रपत्र- ॥ (निविदा प्रारूप)
 खनन क्षेत्र का नाम-

1	खनन क्षेत्र का विवरण—खसरा सं०— क्षेत्रफल है०	फोटो स्वयं सत्यापित
2	तहसील—	
3	जिला—पौड़ी गढ़वाल	
4	खनिज—रेता, बजरी, बोल्डर	
5	आधार मूल्य— अंकों में शब्दों में.....	
6	निविदाकार का नाम..... (1) निजी व्यक्ति पिता का नाम / पति का नाम पूरा पता.....	
	स्थायी पता.....	
	टेलीफोन नं०	
	मोबाइल नं०	
	बैंक.....	
	पैन कार्ड नं०	
	(2) पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी / सोसाइटी	
	पूरा पता.....	
	स्थायी पता.....	
	टेलीफोन नं०	
	मोबाइल नं०	
	पैन कार्ड नं०	
7	1. आवेदन पत्र शुल्क रु० 5000.00 2. व्यापार कर रु० 675.00	1. द्रेजरी चालान सं० दिनांक 2. द्रेजरी चालान सं० दिनांक
8	शपथ पत्रों का विवरण	
9	कोपरेटिव सोसाइटी का कॉपी ऑफ रेजूलेशन	
10	आधार मूल्य(अंकों में) अंकों में..... (शब्दों में).....	बैंक का नाम..... ड्राफ्ट सं० दि०
11	निविदित मूल्य (अंकों में) (शब्दों में)	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही एवं सत्य है। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मांगा जायेगा उसको उपलब्ध कराऊगा। मैंने निविदा की सम्पूर्ण शर्त पढ़ ली गयी है और मैं उनको स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर

निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ के साथ उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना

निविदा प्रपत्र का मूल्य :— प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु ट्रेजरी चालान के माध्यम से रु० 5,000.00 (लेखा शीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क) + 13.5 : वैट अर्थात् रु० 675.00 (लेखा शीर्षक 0040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर 102 राज्य व्यापार कर/वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां, 01 कर संग्रहण) बिना शुल्क जमा किये प्राप्त निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

हैसियत प्रमाण—पत्र :—

1. जिलाधिकारीया जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हैसियत प्रमाण या सम्पत्ति प्रमाण—पत्र या समांषोधन क्षमता प्रमाण—पत्र (Solvency Certificate) अथवा बैंक गारण्टी निविदित क्षेत्र के आधार पर मूल्य का 10 प्रतिशत के बराबर।
2. यदि हैसियत प्रमाण—पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरित रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत—प्रमाण पत्र की तिथि से अद्यतन) निविदाकार के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।
3. हैसियत प्रमाण—पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी।
4. यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
5. हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि एफ०डी०आर० (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारीके नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

बयाना धनराशि (Earnest Money) :—

प्रत्येक निविदाकार से प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु बयाना धनराशि (Earnest Money) के रूप में आधार मूल्य का 02 प्रतिशत जिलाधिकारीके पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक में ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। सफल निविदाकार को छोड़कर अन्य निविदाकारों की बयाना धनराशि (Earnest Money) को वापस कर दिया जायेगा। सफल निविदाकार की बयाना धनराशि (Earnest Money) को अग्रिम धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ प्रपत्र—I (निविदा प्रपत्र) के साथ निम्न संलग्नक होंगे :—

1. आयकर के सम्बन्ध में निम्नानुसार षपथ पत्र :—

(क) आयकर विवरण up to date जमा की गई हो।

- (ख) आगणित आयकर जमा किया गया है।
- (ग) स्वांमूल्यांकन के आधार पर आगणित आयकर जमा किया गया है।

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्रों में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी निविदाकार के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे यह षपथ पत्र प्रस्तुत करना हो कि यदि उसके नाम खनन पट्टा आवंटित होता है तो वह खनन पट्टा चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

- (ii) व्यापार कर विभाग का अदेयता प्रमाण पत्र (विज्ञिप्ति से 06 माह पूर्व तक का) की छायाप्रति स्वयं सत्यापित या अद्यतन षपथ पत्र।
- (iii) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी निवास प्रमाण—पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।
- (iv) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।
- (v) स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो निविदा प्रपत्र एम०एम०—१७ प्रपत्र—८ में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जानी होगी।
- (vi) निविदाकार व्यक्ति या निविदाकार समिति के विरुद्ध खनन बकाया न होने का अद्यतन षपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित) या खनन अदेयता प्रमाण—पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।
- (vii) निकासी गेट पर इलैक्ट्रोनिक तुलाई मशीन लगाये जाने की वचनबद्धता या निकासी गेट के आस—पास अन्य कार्यरत इलैक्ट्रोनिक तुलाई मशीन के साथ अनुबन्ध की वचनबद्धता।
- (viii) हैसियत प्रमाण—पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।
- (ix) बयाना धनराशि (Earnest Money) की मूल प्रति।
- (x) कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति।
- (xi) निविदा शुल्क जमा ट्रेजरी चालान की प्रतियां मूल में।
- (xii) “निविदा आवंटन हेतु प्रक्रिया एवं खनन चुगान की शर्तों” का प्रारूप की स्वहस्ताक्षरित प्रति।

निविदा प्रपत्र एम०एम०—१७ प्रपत्र—II (वित्तीय निविदा) :-

1. स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो निविदा प्रपत्र एम०एम०—१७ प्रपत्र—I में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जानी होगी।
2. लिफाफे के ऊपर खनन क्षेत्र का नाम विज्ञप्ति की क्रमांक व दिनांक एवं निविदा प्रपत्र एम०एम०—१७ प्रपत्र—II (वित्तीय निविदा) अंकित होना अनिवार्य।

निविदा जमा किये जाने हेतु

- (1) सील बन्द लिफाफे में समस्त वांछित स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों सहित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करायी जायेगी।
- (2) निविदा जमा करने से पूर्व समस्त संलग्नक अभिलेखों पर पृष्ठ संख्या अंकित की जानी होगी तथा समस्त अभिलेखों की कुल संख्या एवं कुल पृष्ठ संख्या निविदा प्रपत्र के अन्त में अंकित की जानी चाहिये।
- (3) प्रथम लिफाफे में निविदा प्रपत्र एम०एम०—१७ प्रपत्र—I (निविदा प्रपत्र) एवं समस्त वांछित अभिलेखों जिनके समस्त पृष्ठ स्वप्रमाणित हों, बयाना धनराशि जमा किये जाने के मूल अभिलेख, निविदा शुल्क जमा किये जाने के मूल अभिलेख रखकर सील बंद किये जायेंगे।

(4) द्वितीय लिफाफे में प्रपत्र निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ प्रपत्र-II (वित्तीय निविदा) मूल प्रति में एवं स्वहस्ताक्षरित रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त कोई अभिलेख अथवा अवांछित सूचना रखे जाने तथा किसी भी प्रकार की शर्त/अनुरोध अभिलिखित किये जाने से निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। कमेटी द्वारा ऐसी निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा। निविदाकार द्वारा लिफाफे को सीलबन्द कर दिया जाना आवश्यक होगा।

(5) निविदाकार द्वारा उपर्युक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर सील बन्द कर दिया जाना होगा।

(6) उपर्युक्त तीनों लिफाफों के आवरण/मुख्य पृष्ठ पर निविदित खनन क्षेत्र का नाम, ग्राम, तहसील निविदा क्रमांक संख्या एवं निविदाकार के हस्ताक्षर होने आवश्यक होंगे तथा प्रथम लिफाफे के ऊपर ” निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ प्रपत्र-I (निविदा प्रपत्र) तथा दूसरे लिफाफे में ” निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ प्रपत्र-II (वित्तीय निविदा) ” अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(7) निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ प्रपत्र-I (निविदा प्रपत्र) निविदा फार्म में निविदित मूल्य का वर्णन पर्णतः वर्जित होगा। ऐसी निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

(8) निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ प्रपत्र-I (निविदा प्रपत्र) वं निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ प्रपत्र-II (वित्तीय निविदा) में समस्त प्रवृष्टियों पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी/अपूर्ण निविदा प्रपत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(9) निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ प्रपत्र-II (वित्तीय निविदा) में निविदित मूल्य तथा समस्त इकाई (यूनिट) स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग निविदा प्रपत्र अस्वीकृत माना जायेगा।

(10) निविदित धनराशि अंकों तथा शब्दों में अभिलिखित की जानी होगी। अन्यथा निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(11) निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ प्रपत्र-I (निविदा प्रपत्र) एवं निविदा प्रपत्र एम०एम०-१७ प्रपत्र-II (वित्तीय निविदा) जिलाधिकारी कार्यालय..... से स्वीकृत प्रारूप (Format) पर ही मान्य होगी। अन्यथा की स्थिति में निविदा पर निरस्त मानी जायेगी।

(12) निविदाकार द्वारा एक बार जमा की गयी निविदा अन्तिम होगी तथा उसमे किसी भी प्रकार का निविदा में संशोधन या निविदा वापिस प्राप्त किया जाना अनुमन्य नहीं होगा तथापि यदि कोई निविदाकार निविदा खोले जाने से पूर्व वापिस प्राप्त करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा प्रपत्र मूल्य तथा बयाना धनराशि जब्त करते हुए निविदा प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा।

(खान अधिकारी)

(जिलाधिकारी

निविदा आवंटन हेतु प्रक्रिया एवं खनन/चुगान की शर्तें

- उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-71 के अन्तर्गत अधीन गठित समिति को राज्य सरकार की ओर से सफल निविदाकारों को चयन करने, बिना कोई कारण बताये समस्त निविदाओं को निरस्त करने, अपात्र निविदाकारों की निविदाएं निरस्त करने, निविदा प्रपत्र एवं वित्तीय निविदाएं खोलने, निविदा की स्वीकृति के अधिकार होंगे। उक्त समिति निम्नानुसार होगी :—

जिलाधिकारी

— पीठासीन

राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त सेवा का अधिकारी

— सदस्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्रशासनिक अधिकारी

— सदस्य।

- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी — सदस्य सचिव।

- किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है एवं जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है, निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

- कोपरेटिव सोसाइटी के मामलों में भी पट्टा प्राप्त करने वाली कोपरेटिव सोसाइटी में Common निदेशक नहीं होने चाहिए। कोपरेटिव सोसाइटी में उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र भी निविदा का आवेदन देने के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि पट्टा निष्पादन के उपरान्त उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी से भिन्न व्यक्ति का तथ्य सामने आता है तो उक्त पट्टा निरस्त करते हुये अग्रिम जमा धनराशि, प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अपात्र कोपरेटिव सोसाइटी को आगामी पाँच (05) वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

- एक व्यक्ति को एक खनन पट्टा ही आवंटित किया जायेगा। समिति द्वारा निविदा खोले जाने की प्रक्रिया खनन क्षेत्रों के क्षेत्रफल के अवरोही कम में की जायेगी।

- निविदा खोले जाने का समय प्रथमतः प्रपत्र एम०एम०-17 प्रपत्र-I (निविदा प्रपत्र) खोला जायेगा, जिसमें असफल/अनपयुक्त पाये जाने पर निविदाकार को निविदा समिति द्वारा असफल घोषित कर दिया जायेगा तथा ऐसी स्थिति में प्रपत्र एम०एम०-17 प्रपत्र-II (वित्तीय निविदा) नहीं खोला जायेगा एवं उसे मूल रूप में बयाना धनराशि के साथ सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त निविदाकार को डाक द्वारा वापिस भेज दिया जायेगा।

- निविदा खोले जाने के समय निविदाकार स्वयं अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति को निविदा कक्ष में बैठने की अनुमति होगी। अधिकृत व्यक्ति की दशा में अधिकृत पत्र दिखाने की दशा में ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

- समस्त निविदाकारों में से अधिकतम निविदा (निविदित मूल्य किसी भी दशा में आधार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) देने वाले निविदाकार का ही चयन किया जायेगा।

- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति सफल निविदाकार के पक्ष में हस्तांतरित की जायेगी। खनन पट्टा धारक की खनन संक्रियाओं पर पर्यावरणीय अनुमति हस्तान्तरण में होने वाले विलम्ब का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- निविदा में घोषित सफल निविदाकार को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के नियम-17 में निर्धारित सीमांकन शुल्क सीमाबन्धन हेतु जमा किया जाना होगा।

10. वार्षिक सफल निविदित मूल्य को 12 समान किस्तों में विभाजित कर दो किस्तें जिलाधिकारी के पक्ष में बंधक उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक का सावधि जमा या बैंकर्स चैक/गारण्टी खनन पट्टा विलेख से पूर्व जमा करेगा, जिसका समायोजन अन्तिम दो माह में किया जायेगा।
11. सफल निविदाकार को इस आश्य का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पट्टावधि में समाशोधन क्षमता को कम नहीं करेगा।
12. सफल निविदादाता द्वारा पहली किस्त पट्टा विलेख से पूर्व द्रेजरी चालान के द्वारा जनपद के राजकीय कोषागार में जमा करायी जायेगी।
13. शेष किस्तों का भुगतान द्रेजरी चालान के माध्यम से जनपद के राजकीय कोषागार में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक देय होगी।
14. देय तिथि से एक दिन पूर्व या निर्धारित अवधि को राजकीय अवकाश होने की दशा में उसके पूर्व की तिथि निर्धारित होगी।
15. जमा मासिक अग्रिम किस्त के सापेक्ष ही खनिजों की मात्रा के परिवहन हेतु प्रपत्र एम०एम०-११ निर्धारित मूल्य जमा करने के उपरान्त जारी किये जायेंगे। यदि खनन पट्टा धारक निर्धारित दिनांक से पूर्व एम०एम०-११ प्राप्त करना चाहता है तो आगामी भुगतान की किस्त जमा कर एम०एम०-११ निर्धारित मूल्य जमा कर प्राप्त कर सकता है।
16. खनन पट्टा धारक द्वारा खनन संक्रियायें प्रारम्भ करने के उपरान्त आगामी माह की 20 तारीख तक अग्रिम जमा किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक अग्रिम जमा न किये जाने की दशा में खान अधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा किये जाने का नोटिस जारी किया जायेगा।
- यदि नोटिस के उपरान्त भी अग्रिम जमा नहीं किया जाता है तो पुनः खान अधिकारी द्वारा 07 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से नोटिस जारी किया जायेगा।
- उक्त के उपरान्त भी यदि अग्रिम जमा नहीं किया जाता है जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभूति व अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
- पट्टा निरस्तीकरण के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर दूसरी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अर्थात् जब तक दोबारा नियमित कार्य प्रारम्भ न हो जाय तब तक की अवधि हेतु उक्त क्षेत्र को दैनिक निकासी के आधार पर स्थानीय लोगों को निकासी हेतु दिया जायेगा और उक्त क्षेत्र में हो रहे प्रतिदिन के राजस्व हानि को पूर्व में आवंटित सफल निविदाकार के द्वारा जमा समाशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र (Solvency Certificate) से वसूल किया जायेगा।
17. यदि खनन पट्टा निरस्त होने तथा अग्रिम जमा जब्त होने के उपरान्त भी कोई देयता बनती है तो खनन पट्टाधारक से पृथक से भू-राजस्व की भाँति खनन राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जायेगी और पट्टाधारक को 05 वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

18. सफल निविदाकार द्वारा सीमाबन्धन शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिकतम 15 दिन के अन्तर्गत खनन पट्टे पर धृत होने वाले क्षेत्र के सीमास्तम्भों के स्थानों को आवेदक को मौके पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग की सहायता से खान अधिकारी या खान निरीक्षक द्वारा (नियम-17) चिन्हित किया जायेगा।
19. सीमांकित एवं चिन्हित स्थान पर सफल निविदाकार द्वारा क्षेत्र में सीमा स्तम्भों का निर्धारित मानकों (नियम-17) के अनुसार खनन क्षेत्र में खड़ा किये जाने का कार्य अधिकतम 03 दिन में पूर्ण कर खान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा।
20. सीमास्तम्भों के क्षेत्र में स्थापित होने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 03 दिन में बिन्दु सं0-10 में वर्णित अग्रिम जमा धनराशि के साक्ष्यों के उपरान्त कुल सफल निविदित मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी (स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सूचित) का आंगणन प्राप्त कर प्रपत्र एम0एम0-06 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, निर्धारित स्टाम्प (उपनिबंधन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की सूचना) पर पट्टा विलेख निष्पादन हेतु खान अधिकारी द्वारा 07 दिन में तैयार किया जायेगा।
21. खनन पट्टा विलेख जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिन में निष्पादित किया जायेगा।
22. जिलाधिकारी से पट्टा निष्पादन के उपरान्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सफल निविदाकार के व्यय पर होगा।
23. पट्टे की अवधि की सगणना पट्टा विलेख पंजीयन की दिनांक से की जायेगी।
24. यथास्थिति, खान अधिकारी द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की दिनांक के 15 दिन के भीतर, निदेशक को भेजी जायेगी तथा मूल प्रति खान अधिकारी के कार्यालय में संरक्षित रहेगी। पट्टाधारक एक सत्यापित प्रति अपने पास रखेगा।
25. किन्हीं कारणों से जिन-जिन क्षेत्रों का राज्य सरकार की अनुमति के उपरान्त जिलाधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा क्षेत्र के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की जाती है जिसमें आवेदक की ओर से कोई गलती नहीं होने की दशा में निदेशक की अनुमति के उपरान्त अनुमति शासन द्वारा वापस ली जायेगी। ऐसी परिस्थिति में स्वीकृत जमा प्रतिभूति राशि तथा अग्रिम किस्त आवेदक को दो माह के अन्तर्गत वापस कर दी जायेगी। यदि निकासी हुई हो तो तदनुसार निविदित मूल्य के अनुरूप आगंणन कर धनराशि जमा करायी जायेगी।
26. खनन पट्टाधारक की मृत्यु की दशा में केवल परिवार के विधिक वारिस को खनन पट्टा के अवशेष अवधि हेतु हस्तान्तरित होगा।
27. खनन पट्टाधारक द्वारा जमा आगामी छः माह की किस्त तथा देयक राज्य सरकार को भुगतान कर समर्पण स्वीकार होगा यदि पट्टाधारक का आचरण निम्नानुसार उपयुक्त रहा हो :-
 - (क) खनन पट्टाधारक यथा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में नियमित रहा हो।
 - (ख) वह खनन परिहार की शर्तों के अनुसार प्रगतिशील योजना के लिए अपेक्षित कदम उठाये हो।
 - (ग) वह ऐसे आवेदन करने की तिथि तक सरकार के किन्हीं देयकों के भुगतान में चूक नहीं की है तथा नोटिस अवधि की समाप्ति की तिथि तक सभी देयकों के भुगतान का जिम्मा या तो अग्रिम नगदी में या प्रतिभूति या दोनों के समायोजन के रूप में देता है।

28. खनिज परिहार धारक को नियमावली के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एम०एम०-11 पर खनिज निकासी करनी होगी।
29. परिवहन प्रपत्र एम०एम०-11 की पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा कर खान अधिकारी/खान निरीक्षक से प्राप्त किया जायेगा।
30. खनिज परिहार धारक को खनन पट्टा क्षेत्रफल तथा निर्धारित मात्रा के आधार पर खान अधिकारी द्वारा एक समय में अग्रिम जमा के सापेक्ष एम०एम०-11 की पुस्तिकायें निर्गत की जायेगी। जिसका समायोजन खनिज परिहार धारक द्वारा प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आगामी पुस्तिकाओं का विवरण अग्रिम किस्त जमा कर किया जायेगा।
31. वर्षा ऋतु में (अर्थात् 15 जून से 30 सितम्बर तक) खनन/चुगान की संक्रियायें स्थगित रहेंगी। परन्तु समस्त देयक यथावत देय होंगे।
32. (i) खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती मास के सम्बन्ध में आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रपत्र एम०एम०-12 में खान अधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (ii) जब कभी भी खनिज परिहार धारक बिन्दु-01 में विनिर्दिश्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो वह ₹0 400.00 की शास्ति का भागी होगा।
- (iii) खनिज परिहार धारक खनन कार्य में लगाये जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वारक्ष्य एवं सुरक्षा के विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन करते हुए विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (iv) समस्त परिहार धारक खान नियमावली-1955 के अन्तर्गत प्रख्यापित प्रपत्रों के अनुसार दैनिक उपस्थिति पुस्तिका तैयार करेगा और सक्षम अधिकारी को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक त्रैमास में खान में लगाये गये श्रमिकों का नाम पता सहित राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय के जनपद स्तरीय अधिकारी एवं खान अधिकारी को प्रत्येक त्रैमासिक सूचना आगामी 07 दिनों में उपलब्ध करायेगा।
- (v) बिन्दु-01 के अधीन जमा विवरणियों के आधार पर आगणन अधिकारी (खान अधिकारी) द्वारा प्रत्येक त्रैमास में एक तिथि निर्धारित कर खनिज परिहार धारक से खनिज उत्पादन, खनिज निकासी, खनिज उपयोग एवं खनिज भण्डारण बिक्रय के बिल, श्रमिकों की उपस्थिति, भुगतानों एवं अन्य लेखा पुस्तकों को परीक्षण एवं निरीक्षण हेतु निर्धारित की जायेगी।
- (vi) यदि खनिज परिहार धारक द्वारा बिन्दु-01 के अधीन जमा विवरणी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है तो आगणन अधिकारी जैसा उचित समझे जॉच कर जमा की जाने वाली राजस्व का खनिज परिहार धारक को युक्त युक्त अवसर प्रदान करते हुए निर्धारण कर सकता है।
- (vii) बिन्दु-04 के अधीन जॉच हेतु आगणन अधिकारी 15 दिन का नोटिस देते हुए खनिज परिहार धारक को स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि (जिसको उक्त तिथि हेतु अधिकृत खनिज धारक द्वारा लिखित में किया जाय) को उपस्थित होकर विगत पॉच वर्षों के लेखे वही, उत्पादन, निकासी के आकड़ों सहित प्रस्तुत कर अभिलेखों की पुश्टि करायेगा।
- (viii) बिन्दु-05 के अधीन जॉचोंपरान्त आगणन अधिकारी समस्त पहलुओं का परीक्षण एवं साक्ष्य के अनुसार राजस्व भुगतान के आदेश अपने स्तर से ऊपर के स्तर के विभागीय खनन प्रशासन के अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त आदेश निर्गत करेगा।

(ix) यदि खनन परिहार धारक आगणन अधिकारी द्वारा आगणित किये गये आंकलन से संतुष्ट नहीं हैं तो वह 30 दिन के अन्दर निम्नलिखित आधारों हेतु आगणन अधिकारी के समक्ष पुनः आगणित किये गये आंकलन को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत कर सकता है।

(क) खनिज परिहार धारक को आंगणन के नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) खनिज परिहार की युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

यदि आंगणन अधिकारी खनिज परिहार धारक की उक्त बातों से संतुष्ट होता है तो पुनः आंगणन उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के आधार पर कर सकता है।

यदि आंगणन अधिकारी पुनः आंगणन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वह पुनः आंगणन प्रारम्भ कर सकता है।

(x) यदि किसी कारणवश किसी वर्ष में खनन परिहार क्षेत्र से खनिज की निकासी अधिक करके कम राजस्व का भुगतान किया गया हो या रॉयल्टी की चोरी की गयी हो तो आंगणन अधिकारी नोटिस देकर पुनः आंगणन प्रारम्भ कर सकता है।

33. क्षेत्र में खनन/चुगान की अनुमति State Lavel Environment Assessment Authority Uttarakhand द्वारा प्रदत्त अनुमति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश, मा० उच्चतम न्यायालय या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम-1957 तथा उसके अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2005, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, जिलाधिकारी, खान अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत होगी। खनन पट्टा धारक को उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

(खान अधिकारी)

(जिलाधिकारी)